

अधिनियम

ORDER IN MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 60372/16

of 20

उप के 0 गुप्ता

Order of Proceedings with Magistrate Presiding Officer

Signature of Parties of Pleaders where Necessary

at the Court

निशान लगाये

02.12.16

उपनिरीक्षक/प्रधान को अतिरिक्त/सहायक
को 167/16 आदेश द्वारा 34 अतिरिक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अगियोग
पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 द्वारा उप0।

अभियुक्त/अभियुक्तगण 510 आदेशों के

निवासी/निवासीगण जिला से अधिवक्ता
उपस्थित। अभियुक्त/अभियुक्तगण को और से अधिवक्ता
नी 510 द्वारा गैरपक्ष/वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार गैरपक्ष/अभियुक्तगण के अधीन कायवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) 4040410 के अधीन संज्ञान के आदेश किया जाता है। प्रकरण का पंजीयन आपराधिक को 60372/16 में दर्ज

किया जावे।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को 20 के अधीन प्राधान्य प्रकाश में अभियोग पत्र के निशान निशान दिलाये

को 20 के अधीन प्राधान्य प्रकाश में अभियोग पत्र के निशान निशान दिलाये

सुमा
Case No. 37
Name and address of
प्रति, मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्राप्त के विरुद्ध
किया गया।
धारा 500/ भा0द0स0/
अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध
अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त ने अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक यथा संगत उसके शब्दों में लेखवद्ध किया गया।
अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रत्येक से दण्डित किया गया।
कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रावित्त कर घोषित किया गया।
अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय रुपये अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- व्यतिक्रम के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।
जप्तसुदा संपत्ति रुपये राजसात विजये जायें। संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।
प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।
पुनश्च:
निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 37 दी गई।
अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।
प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचयन हो।
25/11/2020
गुप्त प्रथम दर्जा
Judicial Magistrate First Class
Gohad Dist. District (M.P.)
25/11/2020
25/11/2020